संख्या–485 / 33–3–2010–100(34) / 04–टी.सी.

प्रेषक,

आर0के0शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज ,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ:: दिनांक:: 05 अप्रैल, 2010

विषय :– सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3095 / 33–3–2004–227 / 99, दिनांक 28.09.2004 के दृष्टिगत जिलाधिकारी, रायबरेली के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या–101 / जि.पं. रा.अधि / 2010, दिनांक 15.01.2010 द्वारा की गयी संस्तुतियों के संदर्भ में, प्रेषित की गयी आख्या संबंधी, अपने पत्र संख्या– 5 / शा / 732 / 10–5 / 28 / मिशन / 2002, दिनांक– 25.02.2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के कियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या–3095 / 33–3–2004–227 / 99, दिनांक 28.09.2004 के प्रस्तर–4 में यह व्यवस्था है कि, " जिला स्वच्छता समिति के बैंक खाते का एकल संचालन सम्प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे संशोधित करते हुए संयुक्त रुप से जिला स्वच्छता समिति के उपाध्यक्ष / मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत या मुख्य विकास अधिकारी एव सचिव / जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा किया जायेगा। "

3– इस योजनान्तर्गत जनपद रायबरेली में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के खाता संचालन के संबंध में जिलाधिकारी, रायबरेली के पत्र दिनांक 15.01.2010 द्वारा जनपद में मुख्य विकास अधिकारी के अतिव्यवस्तता आदि कारणो से, उक्त योजना के खाता संचालन हेतु मुख्य विकास अधिकारी / जिला पंचायत राज अधिकारी अथवा जिलाधिकारी / जिला पंचायत राज अधिकारी या विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वच्छता समिति द्वारा नामित अधिकारी को अधिकृत करने हेतु उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28.09.2004 में उपरोक्तानुसार संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 के उपरोक्त पत्र दिनांक 25–2–2010 द्वारा जिलाधिकारी रायबरेली की संस्तुति दिनांक 15–1–2010 के कम में यह संस्तुति की गयी है कि, शासनादेश दिनांक 28–9–04 में संशोधन इस सीमा तक किये जाने पर विचार किया जा सकता है कि जनपदों में जिला स्वच्छता समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी स्वयं जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ जिला स्वच्छता समिति के खाते का संयुक्त रूप से संचालन करे।

5– अतः उपरिवर्णित तथ्यों एवं इस संबंध में जिलाधिकारी, रायबरेली की संस्तुतियों एवं इसके कम में निदेशक, पंचायती राज, उ0 प्र0 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या के

दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन जनपद रायबरेली में जिला स्वच्छता समिति के अध्यक्ष के रुप में जिलाधिकारी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ जिला स्वच्छता समिति के खाते का संयुक्त रुप से संचालन किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

(1) शासनादेश संख्या –3095/33–3–2004–227/99, दिनांक 28.09.2004 में उपरोक्तानुसार किया जा रहा आंशिक संशोधन, मात्र जनपद रायबरेली के लिए ही होगा, जो अन्य जनपदों के लिये लागू नही माना जायेगा तथा यह संशोधन अपवाद स्वरूप है, जिसे अन्य मामलों में अन्य जनपदो के लिये दृष्टान्त स्वरूप नही माना जायेगा।

(2) जनपद रायबरेली के लिये यह संशोधन/व्यवस्था, शासन के अग्रिम आदेशो/शासनादेश दिनांक 28–9–04 के अनुसार आहरण की कार्यवाही किये जाने, जो भी पहले हो, तक ही, प्रभावी होगी।

6– शासनादेश संख्या–3095/33–3–2004–227/99, दिनांक 28.09.2004 की अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के दृष्टिगत, जहॉ कहीं आवश्यक हो, वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

भवदीय,

(आर0के0शर्मा)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– संबंधित अध्यक्ष, जिला पंचायत।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
4– मिशन निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0,।
5– उप सचिव, पेयजल आपूर्ति विभाग, नवा तल, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स लोदी रोड, नई दिल्ली।
6– संबंधित मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत/जिला पंचायत राज अधिकारी।
7– गार्ड फाइल

आज्ञा से

(डी0 एस0 श्रीवास्तव)
विशेष सचिव

08/11/10
5/11/10

C:\Documents and Settings\hcl\My Documents\P K J-I.doc